कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-2

पत्रांक : सीएसयूडब्लू-583/2026 दिनांक 21 जुलाई, 2026

कोटेशन/विज्ञप्ति

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा पूर्व में निर्गत कोटेशन/विज्ञप्ति सं0 सीएसयूडब्लू-407/2026 दिनांक 23 जून, 2026 मे आंशिक त्रुटि होने के कारण प्राप्त कोटेशन को निरस्त करते हुए, नवीन शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नवप्रवेशित एवं अध्यनरत समस्त छात्र/छात्राओं जिनकी संख्या लगभग 1,954 होगी, के लिए एक वर्षीय दुर्घटना बीमा रू0 5,00,000/- एवं कैशलेस रिम्बर्समेन्ट मेडीक्लेम रू0 1,00,000/-के साथ छात्र-छात्रा का वर्ष में एक बार निः शुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य जॉच, अस्पताल में Bed Capping की असुविधा न हो तथा मेडिक्लेम Top-up Value को भी सम्मिलित कर, लागू किया जाना है, जिसके लिये आप अपनी प्रीमियम/किस्त एवं आपके स्तर से छात्र/छात्राओं को अनुमन्य सुविधाओ के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के साथ वित्तीय एवं तकनीकी नवीन कोटेशन सील बन्द लिफाफे में स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को दिनांक 27.07.2026 अपरान्ह 03:00 बजे तक स्वीकार किये जायेगें। कोटेशन दिनांक 27.07.2026 को अपरान्ह 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कक्ष में खोले जायेगें।

नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार होगी।

1. चयनित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में प्रवेश सेमेस्टर पंजीकरण के समय (जिसकी सूचना ससमय आपकी कम्पनी को उपलब्ध करायी जायेगी) उपस्थित रहकर छात्र-छात्राओं का बीमा हेतु रजिस्ट्रेशन फार्म स्वयं भरना/भरवाना अनिवार्य होगा। कम्पनी द्वारा बीमित किये जाने वाले छात्र-छात्राओं की कम्प्यूटराइज्ड सूची एवं रजिस्ट्रेशन फार्म की एक प्रति पजीकरण के दूसरे दिन अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय मे उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. पंजीकरण के दूसरे दिन सम्बन्धित फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थित अनिवार्य होगी।
3. पंजीकरण के दिन सांयकाल 03:30 बजे तक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण रूप से तैयार की गयी सूची के अनुसार छात्र-छात्राओं द्वारा जमा की गयी धनराशि की चेक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दी जायेगी। चेक प्राप्त होने के अगले दिन छात्र/छात्राओं की बीमा पालिसी उपलब्ध करानी होगी। तत्पश्चात छात्र-छात्राओ का दुर्घटना बीमा एवं मेडीक्लेम लागू हो जायेगा तथा यदि तत्काल ही किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, या छात्र/छात्रा बीमार पड़ती है, तो छात्र/छात्रा को कम्पनी द्वारा दुर्घटना बीमा एवं मेडीक्लेम का लाभ देना होगा।
4. छात्र/छात्राओ को मिलने वाली धनराशि, दुर्घटना बीमा एवं मेंडीक्लेम का संचालन कानपुर, हरदोई एवं लखीमपुर प्रांगण के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण कानपुर तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, इटावा प्रांगण का संचालन सह-अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा सम्पादित किया जायेगा। यह योजना विश्वविद्यालय प्रांगण, लखीमपुर, इटावा एवं हरदोई प्रांगण के समस्त संकायों के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु समान रूप से लागू होगी तथा प्रत्येक छात्र/छात्रा का वर्तमान शैक्षणिक सत्र पूर्ण होने तक अबॉध रूप से लागू रहेगी।
5. बीमा कम्पनी द्वारा प्रत्येक छात्र/छात्रा को मेंडीक्लेम कार्ड पंजीकरण की तिथि से 15 दिनो के अन्दर ही प्रदान करना अनिवार्य होगा।
6. बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर छात्र/छात्राओ की मेंडीक्लेम सम्बन्धी कार्य की जानकारी प्राप्त कर रिम्बर्समेन्ट मेडीक्लेम का भुगतान 15 दिनों के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्यालय मे उपलब्ध रक्षित पंजिका पर अपनी टिप्पणी अंकित करना अनिवार्य होगा।
7. मुख्यालय (कानपुर) कैम्पस के बाहर लखीमपुर, इटावा एवं हरदोई कैम्पस में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मेडीक्लेम सुविधा हेतु चयनित एजेन्सी के अधिकृत अस्पताल न होने की स्थिति में छात्र-छात्राओं को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. अस्पताल में भर्ती किये जाते समय बीमित छात्र/छात्रा द्वारा कोई धनराशि नहीं जमा की जायेगी।
9. बीमा कम्पनी द्वारा बीमित छात्र/छात्राओं को Day Care की सुविधा उपलब्ध कराना होगा।
10. एडमिट किये जाते समय बीमित छात्र/छात्रा को Single Room Bed Facility उपलब्ध कराना होगा।
11. बिना कोई कारण बताये कोटेशन निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी, ए0के0एम0यू0 को उपरोक्त कोटेशन/विज्ञप्ति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
2. अर्थ नियंत्रक।
3. कुलसचिव।
4. कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण